कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अमरोहा

पत्रांक 635/1सी0बी0–18 दिनांक 24/02/18

सेवा में,

जिलाधिकारी
अमरोहा

विषय :– यू0पी0रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल अधिनियम 1945 की धारा (6) के अधीन अमरोहा–कैलसा–पाकबडा मार्ग (राज्य मार्ग–78) के चैनेज 3.950 पर स्थित खसरा सं0 118 मि0 ग्राम पचोकरा महरबान अली पर अनावासीय भवन निर्माण की अनापत्ति दिये जाने विषयक श्री इन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री चतर सिंह, निवासी ग्राम पचोकरा महरबान अली, तहसील अमरोहा, जनपद–अमरोहा के प्रार्थना पत्र की जांच विषयक।

संदर्भ :– आपका पत्र सं0 1612 / न्याय सहायक / 2018 दिनांक 09.02.2018।

----X----

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र के अनुपालन में विषयक आवेदनकर्ता को निम्नलिखित शर्तो के अधीन अमरोहा–कैलसा–पाकबड़ा मार्ग (राज्य मार्ग–78) के चैनेज 3.950 पर स्थित खसरा सं0 118 मि0 ग्राम पचोकरा महरबान अली पर अनावासीय भवन निर्माण करने की संस्तुति की जाती है।

1 – आवेदनकर्ता को प्रस्तुत किये गये मानचित्रों के अतिरिक्त कोई अतिरिक्त भिन्नता कराने की आज्ञा नहीं है।
2 – आवेदनकर्ता द्वारा विभाग की भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण करने की आज्ञा नहीं है।
3 – आवेदनकर्ता को पानी निकासी हेतु मार्ग के किनारे पक्की नाली का निर्माण अपने खर्चे पर करना होगा।
4 – आवेदनकर्ता को प्रस्तावित भवन का निर्माण कार्य लो0नि0वि0 की मध्य रेखा से 75 फीट (22.86 मीटर) की दूरी के बाहर कराना होगा।
5 – भू–स्वामित्व के लिये आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
6 – आवेदनकर्ता को इस अनापत्ति प्रमाण पत्र के अतिरिक्त (यदि प्रस्तावित निर्माण कार्य नगर पालिका / टाउन एरिया सीमा में है, भवन निर्माण से पूर्व उसकी आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र स्थानीय नगर पालिका / नगर क्षेत्र समिति से भी प्राप्त करना होगा।
7 – यह संस्तुति पूर्णतः यू0पी0 रोड साईड लैंड कन्ट्रोल एक्ट के अर्न्तगत दी जा रही है तथा उपरोक्त किसी प्रति के उल्लंघन होने या प्रश्नगति भूमि के स्वामित्व या अन्य किसी प्रकार की विवादित होने पर यह संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
8 – यदि भविष्य में मार्ग का चौड़ीकरण होता है तो आवेदक नियमानुसार भूमि के अधिग्रहण हेतु सहमत होंगे।

संलग्न :– मानचित्र 2 प्रतियों में।

(अजय कुमार)
अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
अमरोहा

पत्रांक /1सी0बी0–18 दिनांक

1 – प्रतिलिपि श्री हेमन्त प्रताप सिंह, सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अमरोहा को सूचनार्थ प्रेषित।
2 – प्रतिलिपि प्रावैधिक वर्ग को।

संलग्न :– मानचित्र 1 प्रति में।

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
अमरोहा

Vishal Singh 25-07-018

Desktop/Sharmaji/year2017-18/letters(906)

Authorised Signatory
Hotel Vishal Forms House